



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिंवार में पंजीकृत मु0अ0सं-1271/2014 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तों हिस्ट्रीशीटर 1.कमल काछी पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम कुपरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का कारावास व ₹5000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री मणिकर्ण  
शुक्ला



विवेचक-  
उ0नि0 सियाराम  
अहिरवार



पैरोकार- थाना बिंवार  
का0 प्रेम सिंह